न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या **80 / 2023** अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. भीखसिंह पुत्र तारसिंह 2. शैतानसिंह पुत्र तारसिंह 3. जीवराजसिंह पुत्र तारसिंह 4. मधुकंवर पत्नी जीवराजसिंह जाति राजपुत, निवासी लालसों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. बालसिंह पुत्र राणसिंह 2. जगमालसिंह पुत्र राणसिंह 3. गोपालसिह पुत्र राणसिंह 4. लूणसिंह पुत्र चन्दनसिंह 5. अर्जुनसिंह पुत्र भानसिंह के कायम मुकाम 5.1 उदयकंवर पत्नी अर्जुनसिंह 5.2 इन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 5.3 बागसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 5.4 सुशिलाकंवर पत्नी नखतसिंह 5.5 देवीसिंह पुत्र नखतसिंह 5.6 लालसिंह पुत्र नखतसिंह 5.7 मदनसिंह पुत्र नखतसिंह जाति राजपुत, निवासी लालसों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 6. शाखा प्रबधंक एसबीआई शाखा शिव 7. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री ईश्वरसिंह भाटी एवं अभयसिंह राठौड़।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 07.08.2023

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 22 रकबा 8.1261 हैक्टेयर मौजा लालसों की ढाणी, तहसील शिव में आया हुआ है। जिसमें प्रार्थीगण के रहवासी ढाणी एवं मवेशियों के बाड़े बने हुए है तथा प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 17, 23, 77/39, 129/38 रकबा क्रमशः 4.5001, 9.5263, 3.7231, 29.8415 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित उक्त रास्ता आगे लालसों की ढाणी से रतनोणियों की ढाणी जानी वाली डामर सड़क से जोड़ता है। उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते हेतु खातेदार भूमि की क्षतिपूर्ति/प्रतिकर राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारों को नया रास्ता खोलने की जानकारी दी गई कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी तक नवीन रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 23 रकबा 58.17 बीघा में से 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 17 रकबा 27.16 बीघा में से 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 77/39 रकबा 23.00 बीघा मे से 0.06 बीघा तथा खसरा नम्बर 143/129 रकबा 182.07 बीघा मे से 0.10 बीघा भूमि उपयोग में ली जायेगी। प्रस्तावित रास्ता निकटतम एंव लघुतम है एवं प्रस्तावित रास्ता की चौड़ाई 04 मीटर है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 23, 17, 77/39 व 143/129 में रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जिसमें से खसरा नम्बर 23, 17 व 77/39 खातेदारी खसरे तथा खसरा नम्बर 143/129 तहसीलदार के आधिपत्य का सरकारी खसरा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 23 रकबा 58.17 बीघा में से 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 17 रकबा 27.16 बीघा में से 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 77/39 रकबा 23.00 बीघा मे से 0.06 बीघा तथा खसरा नम्बर 143/129 रकबा 182.07 में से 0.10 बीघा भूमि उपयोग में ली जायेगी। मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण की खातेदारी तक अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं लघुतम विकल्प है तथा उक्त रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ता है। प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 04 मीटर है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 22 रकबा 8.1261 हैक्टेयर मौजा लालसों की ढाणी, पटवार मण्डल बीसुकला, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 23 रकबा 58.17 बीघा में से 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 17 रकबा 27.16 बीघा में से 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 77/39 रकबा 23.00 बीघा मे से 0.06 बीघा तथा खसरा नम्बर 143/129 रकबा 182.07 बीघा में से 0.10 बीघा भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने के आदेश किये जाकर तहसीलदार शिव को अमलदरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव, जिला-बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 07.08.2023 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)